तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/9/2020	पत्रावली पेश हुई। पक्षान वकील उभय पक्ष को श्रवण किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सायल ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खसरा नं 6398 ग्राम नदी बरखेड़ा करौली सार्वजनिक रास्ता है जिसके इन्द्राज कागजात सरकारी मे है। रास्ते का एलोकेशन किसी प्रकार से संभव नही है। रास्ता पर किसी को खाते दारी अधिकार नही दिये जा सकते है। गैर सायल की खातेदारी की आराजी एवं सायल के खाते दारी आराजी के बीच यह रास्ता है। गैरसायल ने उक्त रास्ते को तोड़कर बजरी निकालना शुरू किया तो सायल ने दिनांक 4.5.2007 को गैर सायल से रास्ता तोड़कर बिगाड़ने एवं बजरी निकालने से मना किया तो गैर सायल ने धमकी देकर कहा कि साल डेढ़ साल पहिले तुमने मना किया तब मैने बजरी निकालना रोक दिया परन्तु अब मै इस भूमि के रास्ते को तुम्हे नही निकलने दूंगा। तब सायल ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। सायल गैर सायल के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। गैर सायल ने सायल के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि ख.नं. 6398 मे ठेकर कोई	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.25 11:56:44 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम ज... हुक्म की ता... में जारी हु...
	रास्ता नहीं है। उक्त आराजी गैरसायल के पिता व गैरसायल के खातेदारी व कब्जे में चली आ रही है। गैरसायल ने सायल के विरुद्ध एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी कल्याण V/s रामफूल सन 2000 में पेश श्रीमान जी के यहां कर रखा है जिसमें सायल ने कोई काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया है। रास्ते के बाबत दावा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। न्यायालय हाजा को रास्ते का विवाद सुनने का अधिकार नहीं है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं. 2060 से 2063 में बाद ग्रस्त आराजी गैरसायल के खातेदारी में अंकित है और खसरा गिरदावरी सं. 2010-13 में उक्त खसरा नम्बर रास्ता अंकित है। जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 8398 में है। इस प्रकार उक्त आराजी सेटलमेन्ट पूर्व से रास्ता भूमि है जिसमें गैरसायल को कोई हक प्राप्त नहीं होते हैं। प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किया जाता है। गैरसायल को ता फैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ख. नं. 8398 रकबा 10 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नं. 9 तहसील करौली में वजरी निकाल कर रास्ते की तोड फोड नहीं करे ना किसी से करवाये [illegible] छोड़कर मूल दावा के साथ [illegible] है।	

अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.25 11:56:44 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner